समाहरणालय, गोड्डा।

(जिला समाज कल्याण शाखा)

–: इच्छा की अभिव्यक्ति :–

संयुक्त निदेशक–सह–संयुक्त सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड रॉंची के पत्र सं0 – 05/म0स0/यो0– 191/2017 – 1899 दिनांक–21.06.17 द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018–19 में गोड्डा जिले के वृद्धजनों, महिलाओं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों इत्यादि के कल्याणार्थ नीचे लिखें कार्यक्रमों का संचालन गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कराया जाना है :–

1. **ओल्ड एज होम का संचालन। 2. मूक बधिर विद्यालय का संचालन। 3. नेत्रहीन विद्यालय का संचालन। 4.स्पैष्टिक विद्यालय का संचालन। 5. अनाथालय का संचालन। 6. तिरस्कृत, बेसहारा, परित्यकता महिलाओं के लिए उत्तर रक्षा गृह/नारी निकेतन/शार्ट स्टे होम का संचालन।**

इन कार्यक्रमों के संचालनार्थ गैर सरकारी संस्थाओं के चयन हेतु विभागीय ज्ञापांक–2479, दिनांक–27.12.2013 द्वारा प्रसारित मार्ग–निर्देश के तहत इच्छुक निबंधित गैर सरकारी संस्थाओं (एन०जी०ओ०) से निम्न शर्तों पर परियोजना प्रस्ताव दिनांक–28.06.2018 तक आमंत्रित किया जाता है :–

(1) उन स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा, जो सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट–1860, ट्रस्ट अधिनियम–1882, कम्पनीज अधिनियम–1958 के तहत निबंधित हो एवं सरकारी उपक्रम/निगम/निकाय/कॉपरेटिव/समिति के अधीन लोकहित में कार्य कर रहे हो तथा जिसका निबंधन तीन साल पूरा हो गया हो।

(2) उन्हीं संस्थाओं के परियोजना प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा, जिनका विधिवत रूप से गठित प्रबंध समिति हो एवं जिसका अधिकार और कर्त्तव्य स्पष्ट रूप से परिभाषित हो तथा जिनके लिखित संविधान/वाईलॉज हो। परियोजना प्रस्ताव के साथ उक्त संविधान/वाईलॉज को संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(3) संस्थाओं के परियोजना प्रस्ताव पर विचार के लिये आवश्यक होगा कि संस्था परियोजना प्रस्ताव से संबंधित विषय पर या परियोजना के विषय के समान क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो तथा संस्था के पास परियोजना कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त सुविधाएँ तथा संसाधन उपलब्ध हो।

(4) परियोजना प्रस्ताव का बजट परियोजना के आवश्यकता आधारित होनी चाहिए। अनावश्यक रूप से अत्यधिक बजट वाले परियोजना प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा।

(5) किसी परियोजना संचालन के लिए संस्था की अपनी वित्तीय स्थिति का सुदृढ़ होना आवश्यक है। संस्था के पास संबंधित परियोजना हेतु प्रस्तावित बजट का कम से कम 20% राशि अपने बैंक खाते में रखना अनिवार्य होगा।

(6) संस्था के परियोजना प्रस्ताव के साथ संस्था का आधारभूत ढाँचा तथा संसाधनों का पूर्ण व्यौरा, लाभान्वितों के नाम, पता, फोन नं0, फोटो तथा कार्यरत शिक्षक/कर्मचारियों के नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता, विशेष प्रशिक्षण आदि की जानकारी, विगत तीन वर्षों का अंकेक्षण प्रतिवेदन संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(7) वैसी स्वयंसेवी संस्थाओं के परियोजना प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा, जिनके द्वारा पूर्व में अनुदान की राशि का दुरूपयोग किया गया हो या जिनका नाम काली सूची में दर्ज हो।

(8) संस्था का नीति आयोग के NGO-PS Portal पर निबंधित रहना आवश्यक है।

21/6/18

उपायुक्त,
गोड्डा।

ज्ञापांक 1471 /जि0स0क0, दिनांक 22-06.18

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि उक्त विज्ञापन का प्रकाशन प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त सूचना को गोड्डा जिला के वेवसाईट www.godda.nic.in पर अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, गोड्डा जिला को सूचनार्थ एवं प्रचार–प्रसार हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/6/18

उपायुक्त,

?/06/18